

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 8(1) राज/वाद/19

जयपुर दिनांक 30/6/2020

: आदेश :

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 2(4)न्याय/2019 दिनांक 21.01.2020 द्वारा द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु राज्य के समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया था।

उक्त विनिर्दिष्ट समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों में नियुक्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को उक्त अधिनियम के अधीन विचाराधीन प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,

हुं

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
5. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
9. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, (राज0)।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राज0 जयपुर।
- ✓ 13. प्रोग्रामर विधि विभाग को ई-गजट में प्रकाशन के लिये ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु।
14. समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक.....राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

हुं 30/6/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि